सेवा में,

ek- e|[;e=h
झारखंड सरकार, राँची।

fo"k; % झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की मिलीभगत से हो रहे टेंडर घोटाला की जांच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ :–

1. भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल संख्या–2, राँची के कार्यपालक अभियंता की ओर से ^>kj[kM U;t ykbu* नामक अखबार में दिनांक 05.12.2010 को विभिन्न कार्य कराने हेतु एक निविदा प्रकाशित कराई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का संदर्भ पी.आर.–38117 (भवन) 10–11 द्वारा यह विज्ञापन संबंधित समाचार पत्र को भेजा गया है। प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक–1)

2. दूसरी ओर इसी संदर्भ संख्या के द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जो विज्ञापन इसी समाचार पत्र को भेजा है और जो दिनांक 01.12.2010 को प्रकाशित हुआ है वह विज्ञापन सिमडेगा जिला के कार्य के बारे में है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिमडेगा द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजे गए विज्ञापन की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक–2)। यह विज्ञापन राज्य के पांच अखबारों से प्रकाशित करने हेतु भेजा गया है, जबकि कंडिका–1 में वर्णित विज्ञापन केवल ^>kj[kM U;t ykbu* नामक अखबार में ही प्रकाशित हुआ है।

mi;|Dr fooj.k l Li"V g fd Qth rkj ij ux.; ilkj l[;k oky lekpkj i= e dk; foHkkx dk foKkiu Niokdj eupkg 0;fDr;k vFkok Qek dk vfu;fer rjhd l dk; nu vFkok fcuk dk; djk; Hkxrku dju dh lkft'k dh tk jgh gA tgk rd e> tkudkjh g] ,l foKkiuk d fo:) fn[kk; x, dk;k d en e Hkxrku Hkh igy gh dj fn;k x;k gA

3. भवन निर्माण विभाग में विशेषकर राजधानी राँची के कार्य प्रमंडलों में चुनिंदा संवेदकों के माध्यम से कार्य पहले करा लेने और कराये गए कार्यों का विज्ञापन बाद में निकालने की परंपरा स्थापित हो गई है। ऐसे कार्यों के लिए संवेदकों से 40 प्रतिशत तक कमीशन वसूलने की सूचना है। इतना ही नहीं जिन कार्यों के लिए भुगतान जुलाई 2010 में हो गया है, उन्हीं कार्यों के लिए एक साल में ही जुलाई 2011 में भी निविदा

निकाल दी गई है। ऐसा करने का अर्थ है कि एक ही साल में एक ही कार्य के लिए दोबारा भुगतान करने की कोशिश की जा रही है अथवा पिछले वर्ष बिना कार्य कराये ही भुगतान कर दिया गया है। ये सभी कार्य राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से संबंधित है। यह सरकारी खजाने का दुरुपयोग है और राज्य के लोक निर्माण संहिता का उल्लंघन है।

मैं ऐसे दो विज्ञापनों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ जो 8 जून 2011 को दैनिक प्रभात खबर में और 9 जून 2011 को दैनिक हिन्दुस्तान के रांची संस्करण में प्रकाशित हुए हैं। (अनुलग्नक–3 एवं 3ए)। इनमें से एक की निविदा खोलने की अंतिम तिथि 25 जून 2011 थी, जिसे बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया गया। दूसरे में कोटेशन प्राप्त की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2011 थी। जबकि इनमें विज्ञापित अधिकांश कार्य पहले ही पूरा कर लिए गए हैं। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही भुगतान होना, अनियमितता को रिकार्ड में नियमित करना और बाद में विज्ञापन प्रकाशित कराना प्रासांगिक कानूनों का उल्लंघन है और राजकोष का दुरुपयोग है। जांच करने पर सच्चाई सामने आ जाएगी और दोषी व्यक्तियों का षडयंत्र उजागर हो जाएगा।

9 जुलाई 2010 मे हो चुका है। इनमें से जिन कार्यों के लिए 9 जुलाई 2010 को एकरारनामा का ब्यौरा निम्नांकित है।

8 जून 2011 को प्रकाशित विज्ञापन का क्रमांक	जुलाई 2010 में इनके लिए हुए एकरारनामा का ब्यौरा
1.	22–F2
4.	24–F2
5.	48–F2
6.	51–F2
7.	31–F2
8.	37–F2
9.	27–F2
10.	46–F2
11.	28–F2
12.	38–F2
13.	30–F2
15.	41–F2
16.	41–F2
17.	52–F2

नोट : ये एकरारनामा दिनांक 9 जुलाई 2010 को सम्पन्न हुए हैं।

उपरोक्त विवरण तो केवल एक संकेत भर है। जांच हुई तो करोड़ों रुपयों का अनियमित भुगतान और कमीशनखोरी का मामला सामने आएगा। आश्चर्य है कि ऐसे कार्य राज्य सरकार की आंख के सामने विधान सभा, विधायक आवास, राज्य सचिवालय, मंत्रियों एवं सचिवों के आवासों एवं कार्यालयों में कराये जा रहे हैं। लगता है कि भवन निर्माण विभाग में ऐसे शातिर अभियंताओं का समूह खड़ा हो गया है जिसके सामने प्रशासन और सरकार बेबस नजर आ रही है।

अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों की जांच कराने के साथ ही विगत वर्षों में कराए गए ऐसे ही कार्यों एवं उन कार्यों के लिए प्रकाशित विज्ञापनों की जांच कराने का आदेश भी देना चाहिए।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼l j ;| jk;½

ifrfyfi %

1. आरक्षी महानिदेशक, झारखंड।
2. आरक्षी महानिरीक्षक, निगरानी।
3. मुख्य सचिव, झारखंड।
4. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव।